



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 550) पटना, सोमवार, 22 अप्रैल 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

22 अप्रैल 2019

सं0 एम०-1-005/2019-35—बिहार विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन के अवसर पर 212—डिहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु.-1/बिहार-वि.स./4/2019 दिनांक 22.04.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार गुप्ता,

संयुक्त सचिव —सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली— 110001 तारीख 22 अप्रैल, 2019/2 वैशाख, 1941 (शक)

सं० 100/पूर्व अनु.—1/बिहार—वि.स./4/2019 :— यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 212—डिहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मोहम्मद इलियास हुसैन का स्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ड.) के अंतर्गत उनके दोषसिद्ध होने और कारावास की सजा पाने के परिणामस्वरूप निरर्हित होने के कारण 27 सितम्बर, 2018 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन कराया जाना है,

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) बिहार राज्य से उक्त 212—डिहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 मई, 2019 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:—

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 29 अप्रैल, 2019 (सोमवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 30 अप्रैल, 2019 (मंगलवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 2 मई, 2019 (वृहस्पतिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 19 मई, 2019 (रविवार) |
| (ड) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 27 मई, 2019 (सोमवार) |

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 22nd April, 2019/
2 Vaisakha, 1941 (Saka)*

No. 100/ES-1/BR-LA/4/2019:- WHEREAS, the seat of **Mohammad Iliyas Hussain**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **212-Dehri** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **27th September, 2018** due to his disqualification under Article 191(1)(e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 consequent upon his conviction and sentence to imprisonment, and;

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) call upon the said **212-Dehri** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th May, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.
 - (B) appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 29th April, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 30th April, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

- (c) the 2nd May, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 19th May, 2019 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- and
- (e) the 27th May, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hour from 7.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
A. K. PATHAK,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 550-571+50 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>